

I-1251/11



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

894263

04 FEB 2011



विक्रय-पत्र

लेख पत्र का संक्षिप्त विवरण

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. भूमि का प्रकार | : कृषि |
| 2. परगना | : मोहनलालगंज |
| 3. ग्राम | : सौनई कंजेहरा |
| 4. सम्पत्ति का विवरण
(सम्पत्ति नं०) | : भूमि खसरा संख्या-201 व
240 |
| 5. मापन की इकाई | : हेक्टेअर |
| 6. विक्रीत सम्पत्ति का क्षेत्रफल | : 0.524 हेक्टेअर |

नेमकाट

A. अं. कारी
प्रसाद

A. अं. कारी
प्रसाद

आदर्श कोषागार, लिखनऊ

दिनांक

मूल्य

माग

द्वारा

सं० रिकॉर्डिंग

मुख्य रिकॉर्डिंग

क्र. 28,99,187/- मा. 7,86,000/-
वि० सं० 1/1/80=10 20=10 1/1/20=10 1000

श्री जे. एन. डी. गुप्ता
श्री जे. एन. डी. गुप्ता
15-02-11 4/5

सं. नि. नि. नि.

श्री जे. एन. डी. गुप्ता

नेषपादन लेख सत्र 28,99,187/-
उक्त श्री जे. एन. डी. गुप्ता व श्रीमती सुरजना विरुद्ध
रु. 2000 का प्रीतिपत्र दत्त श्री विरुद्ध
निष्पादन एकीकृत विमा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

894260

04 FEB 2007

- 2 -

7.	सम्पत्ति का प्रकार	: कृषि
8.	पेड़ों का मूल्यांकन	: कुछ नहीं
9.	बोरिंग/कुआ/अन्य	: कुछ नहीं
10.	प्रतिफल की धनराशि	: ₹0 28,99,187/-
11.	मालियत	: ₹0 7,86,000/-
12.	स्टाम्प	: ₹0 1,45,000/-

चौहद्दी

खसरा नं०-201

पूर्व	: खसरा संख्या-203
पश्चिम	: खसरा संख्या-239 व 240
उत्तर	: खसरा संख्या-202
दक्षिण	: खसरा संख्या-200

राजेन्द्र कुमार

अ. नं०
मुद्रा

अ. नं०
वसुदेव
मेहता



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

894261

14 FEB 2011

- 3 -

खसरा नं०-240

पूरब : खसरा संख्या-201 व 202
 पश्चिम : खसरा संख्या-242
 उत्तर : खसरा संख्या-241
 दक्षिण : खसरा संख्या-239

प्रथम पक्ष की संख्या-02

द्वितीय पक्ष की संख्या-01

विक्रेतागण का विवरण	क्रेता का विवरण
(1) राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व० छन्ू व (2) श्रीमती सुरजना पत्नी स्व० छन्ू, निवासीगण- ग्राम-सौनई कंजेहरा, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ। व्यवसाय - कृषि	काशी प्रसाद पुत्र श्री विपति निवासी-पुरे निधि, मजरा किलौली, जिला-रायबरेली, उ०प्र०। व्यवसाय - कृषि

राजेन्द्र कुमार

A के सुरजना

A के काशी प्रसाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

894262

04 FEB 2011

- 4 -

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख (1) राजेन्दर कुमार पुत्र स्व० छन्नू व (2) श्रीमती सुरजना पत्नी स्व० छन्नू, निवासीगण-ग्राम-सौनई कंजेहरा, परगना व तहसील-मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ जिन्हे आगे विक्रेतागण कहा गया है, एवम् काशी प्रसाद पुत्र श्री विपति निवासी-पुरे निधि, मजरा किलौली, जिला-रायबरेली, उ०प्र० जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है, के मध्य निष्पादित किया गया।

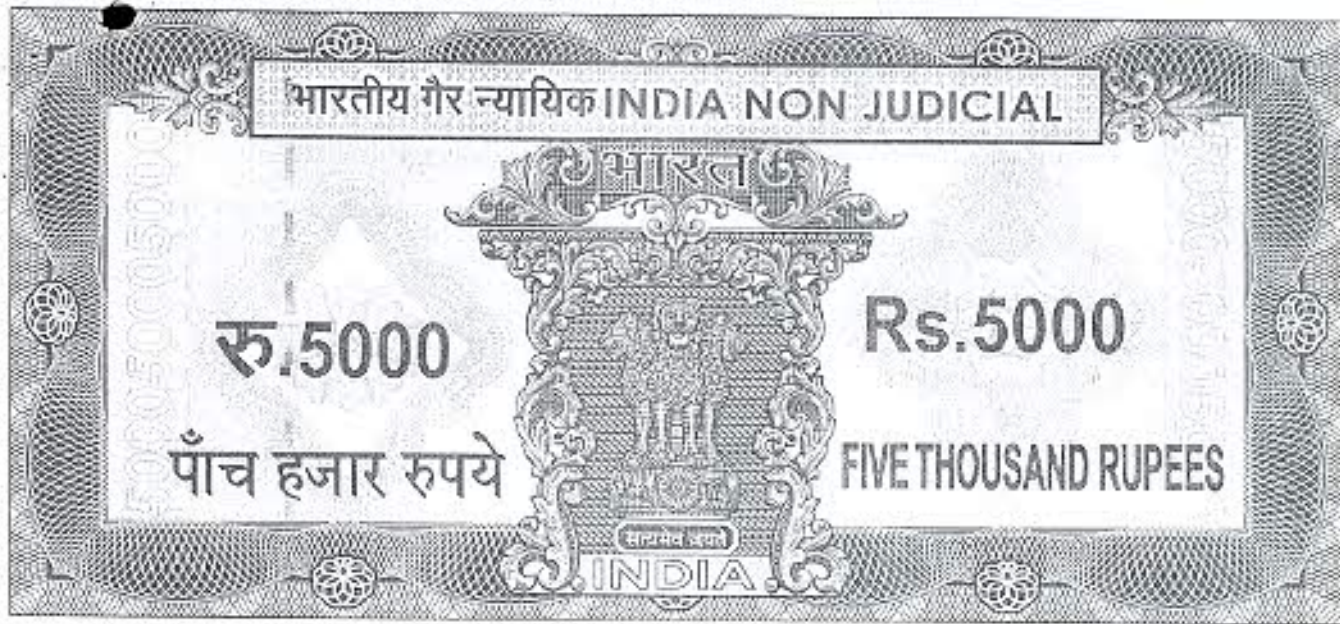
राजेन्दर कुमार



A २०
सुदामा



A २०
काशी प्रसाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 5 -

यह कि विक्रेतागण भूमि खसरा संख्या-201 रकबा 0.1800 हेक्टेअर व 240 रकबा 0.3440 हेक्टेअर यानी 2 किता कुल विक्रीत रकबा 0.524 हेक्टेअर, स्थित-ग्राम- सौनई कंजेहरा, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला लखनऊ, के मालिक, कामिल व काबिज हैं तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खाता खतौनी क्रम संख्या 00233 के अनुसार उक्त भूमि विक्रेतागण के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है, उक्त भूमि विक्रेतागण को विरासत में मिली है विक्रेतागण अपना-अपना

राजे-कुमार

अ. कं.
सुष्मा

अ. कं.
काली
नरसिंह



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 323311
03 FEB 2011

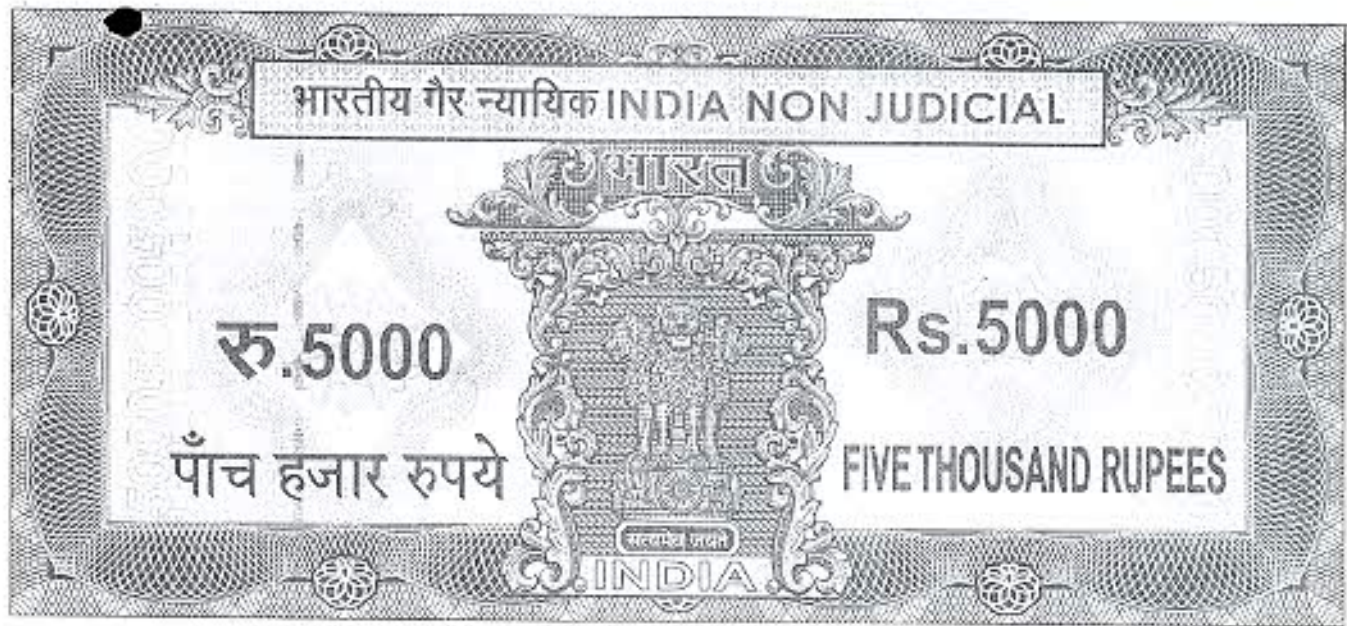
- 6 -

सम्पूर्ण हिस्सा अपने पूरे होशो हवास में बिना किसी जोर जबरदस्ती या दबाव के, क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे हैं। विक्रेतागण उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है, और यह कि विक्रेतागण यह घोषित करते हैं कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेतागण ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी

शरीफ-इ-कुमार

अंक
सुजय

अंक
महाराज



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 7 -

न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेतागण के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेतागण को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सहमति के फलस्वरूप रु0 28,99,187/- (रुपया अट्ठाईस लाख निन्दानबे हजार एक सौ सत्तासी मात्र) के प्रतिफल में जिसका कि उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेतागण को इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित

राजे-कुमार

A. K. गुजरा

A. K. गुजरा





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

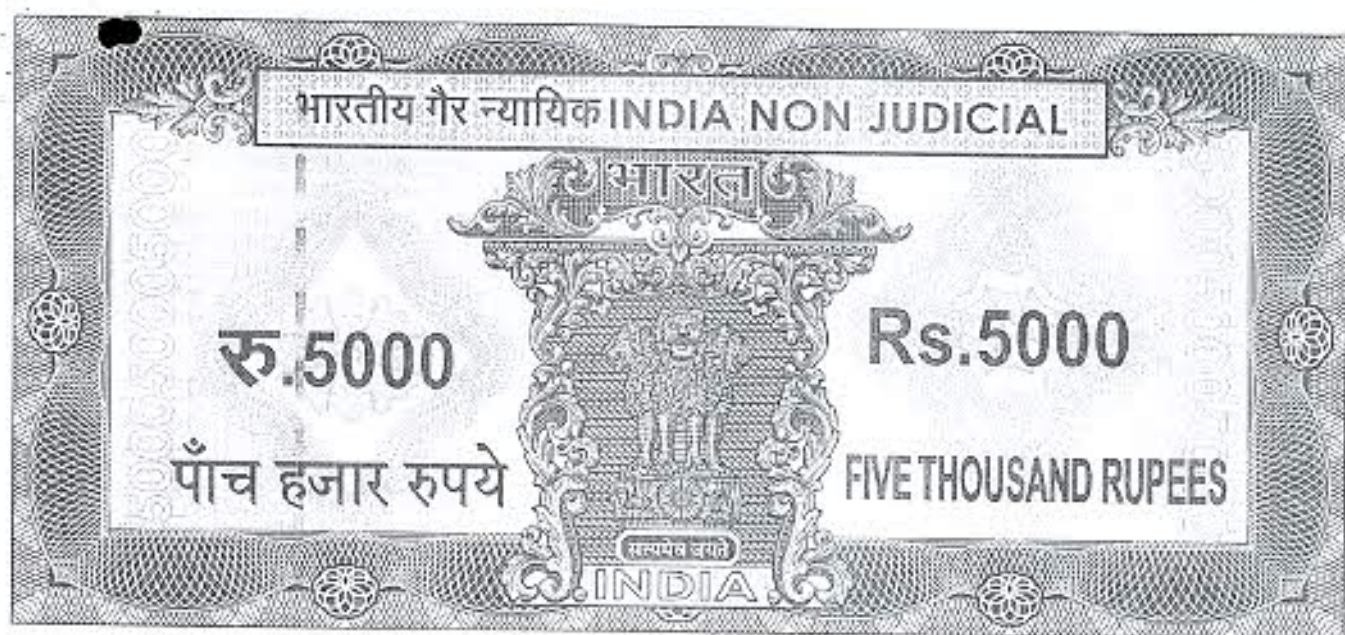


- 8 -

विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेतागण यहाँ स्वीकार करते हैं, तदनुसार उक्त विक्रेतागण उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेतागण ने विक्रयशुदा भूमि का मोके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेतागण तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेतागण ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त

राजेंद्र कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 9 -

अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेतागण उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेतागण के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण

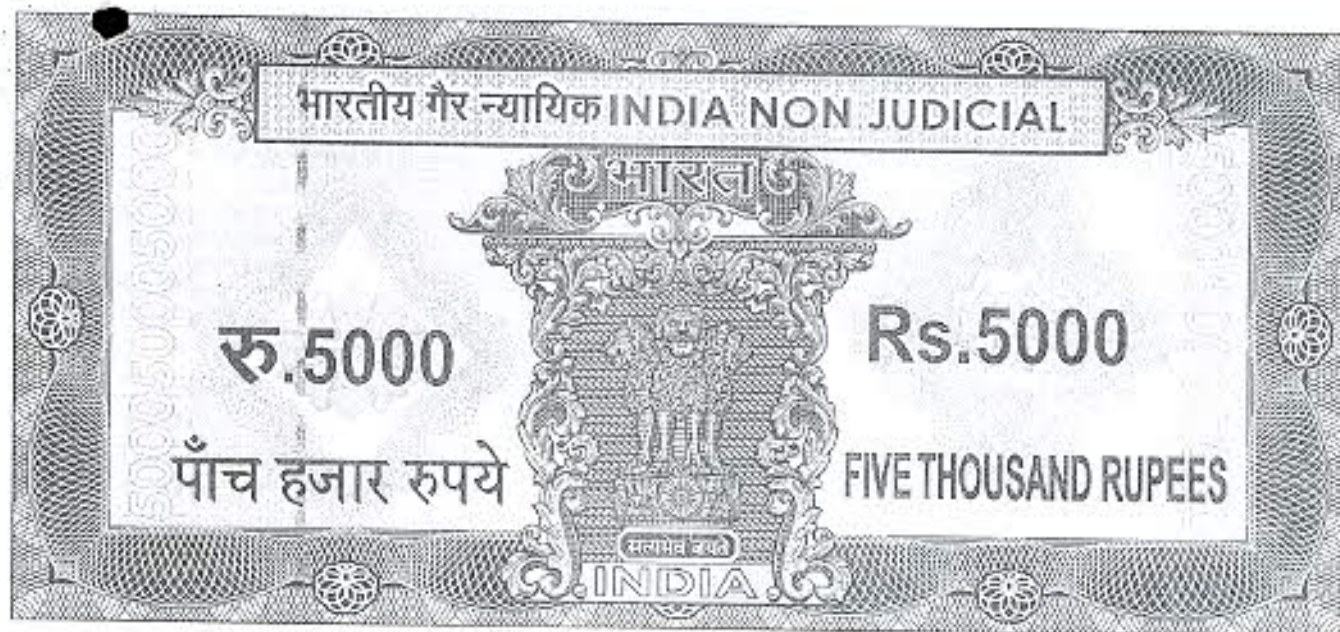
रजिन्द्र कुमार



120
हस्ताक्षर



120
करीम अली



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 10 -

इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेतागण की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर ले। उस स्थिति में विक्रेतागण एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खातिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का

रजि-५ कुमाय

A 80
दुलना

A 80
फासी प्रस ४





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 11 -

अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेतागण भुगतान व वहन करेगा, विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम सौनई कंजेहरा, उपजिला मोहनलालगंज की राजस्व सीमा अन्तर्गत नगरीय व अर्द्धनगरीय क्षेत्र को छोड़कर आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों में से एक है, जिसका निर्धारित सर्किल रेट रु० 15,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत भूमि 0.524 हेक्टेयर की मालियत

राजेश कुमार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 323301

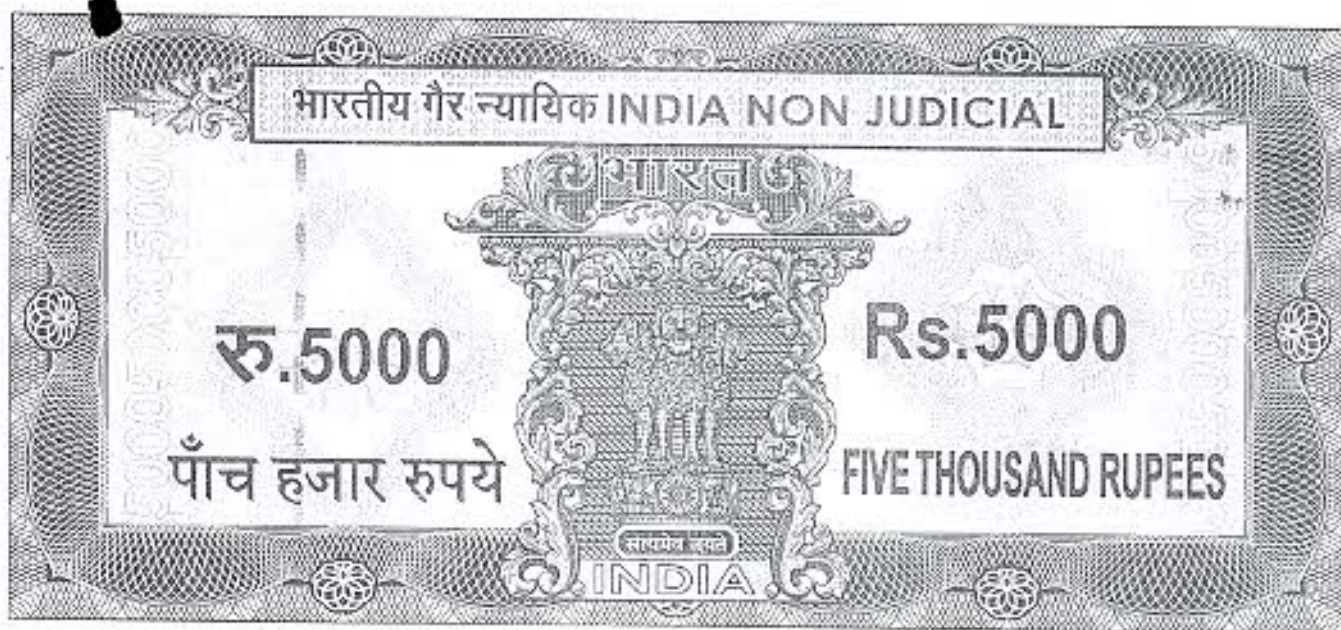
- 12 -

रु० 7,86,000/- होता है, चूंकि विक्रय मूल्य, भूमि की बाजार मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रु० 1,45,000/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है। इस भूमि में कोई कुआँ, तालाब, व निर्माण आदि नहीं है, तथा 200 मी० के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं है विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से लगभग एक किलोमीटर से अधिक दूरी पर

रजिन्द्र कुमार

1 अक्टूबर 2007

1 अक्टूबर 2007



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



- 13 -

स्थित है। विक्रेतागण एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख विक्रेतागण ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवें।

रामेन्द्र कुमार

A.मं.
कुमार

A.मं.
काशी प्रसाद

परिशिष्ट : विवरण विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा संख्या-201 रकबा 0.1800 हेक्टेअर व 240 रकबा 0.3440 हेक्टेअर यानी 2 किता कुल विक्रीत रकबा 0.524 हेक्टेअर, स्थित-ग्राम- सौनई कंजेहरा, परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।

परिशिष्ट : भुगतान विवरण

1. रू0 14,49,594/- (रुपया चौदह लाख उनचास हजार पांच सौ चौरानबे मात्र) जरिये चेक संख्या-293699 दिनांकित 15.02.2011 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये।
2. रू0 14,49,593/- (रुपया चौदह लाख उनचास हजार पांच सौ तिरानबे मात्र) जरिये चेक संख्या- 293698 दिनांकित 15.02.2011 पंजाब नेशनल बैंक, शाखा हजरतगंज, लखनऊ विक्रेता ने क्रेता से प्राप्त किये।

राजेन्द्र कुमार

A. अ. हुसैन

A. अ. काशी मुखर्जी

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रु0 28,99,187/- (रुपया अट्ठाइस लाख निन्यानबे हजार एक सौ सत्तासी मात्र) विक्रेतागण ने क्रेता से प्राप्त किये तथा जिसकी प्राप्ति विक्रता स्वीकार करते हैं

नोट:-भुगतान के विवरण में चेक संख्या काले पेन से पृष्ठ संख्या-14 पर लिखा गया है।

लखनऊ

दिनांक : 15.02.2011

गवाह

1.


पंकज सिंहा
पुत्र राम नरेश झा
सि. ७ जालपाग लखनऊ

A.B.

सुजय
विक्रेतागण

2.


सुजय राम
पुत्र श्री रणित
सि. हावड़ा कलकत्ता, लखनऊ

A.B.

काशी
प्रसाद

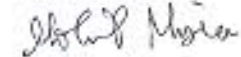
टाईपकर्ता



(अमय शाह)

सिविल कोर्ट, लखनऊ

मसविदाकर्ता



(मोहित मिश्रा)

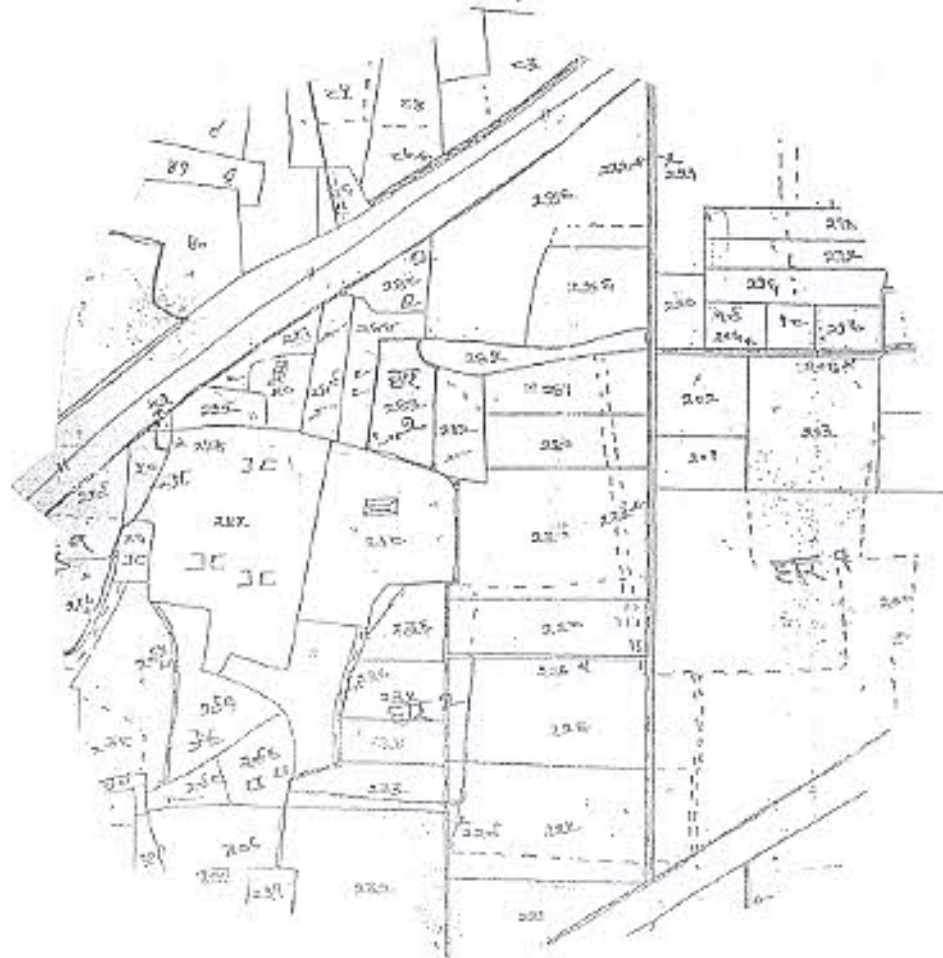
एडवोकेट

असरा २० - २०१ व २५०

जाम → लोन्ड मंजूर

विकला → राजेन्द्र कुमार व सुजना

केला → कारी प्रसाद



रजि-सुभार

विकला

कारि प्रसाद

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

चिक्केता का नाम व पता-राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व० छन्नू निवासी-ग्राम-सौनई कंजेहरा,
परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

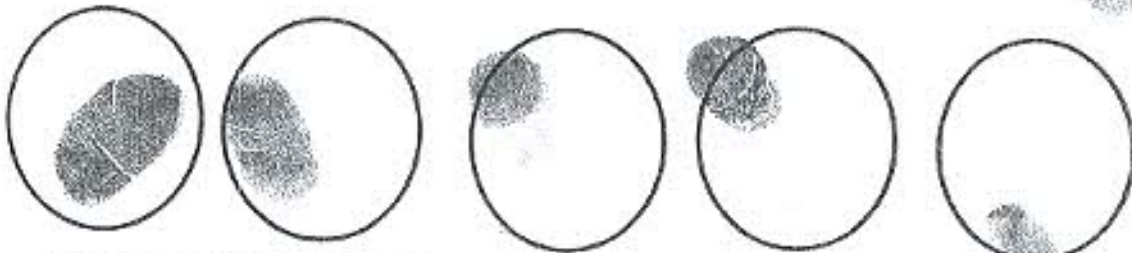


दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



चिक्केता का नाम व पता-श्रीमती सुरजना पत्नी स्व० छन्नू, निवासी-ग्राम-सौनई कंजेहरा,
परगना व तहसील- मोहनलालगंज, जिला-लखनऊ

रजि-55 मर
हस्ताक्षर चिक्केता



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



A ६०
सुरजना
हस्ताक्षर चिक्केता

रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 की धारा 32-ए. के अनुपालन हेतु
फिंगर्स प्रिन्ट्स

क्रेता का नाम व पता-काशी प्रसाद पुत्र श्री विपति निवासी-पुरे निधि, मजरा
किलौली, जिला-रायबरेली, उ०प्र०
बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-

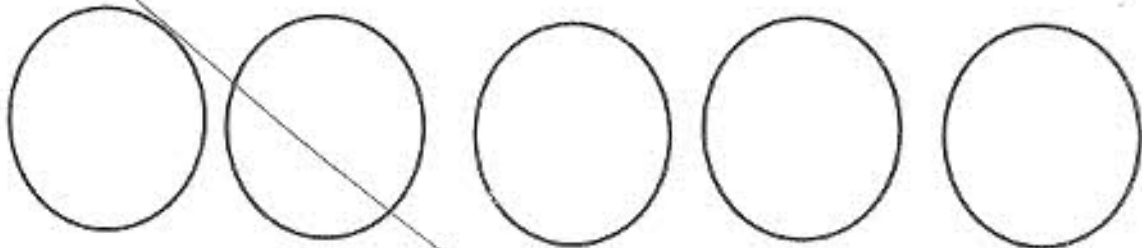


दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



हस्ताक्षर क्रेता

क्रेता का नाम व पता-



दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :-



हस्ताक्षर क्रेता

आज दि० 15-2-11 को फोटो स्टेट प्रति
पुस्तक संख्या I खण्ड 2436 के
पृष्ठ 262-263 पर 125/पर
निस्सीक 263-298



एम निम्नक

को-ऑपरेशन

